न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

(प्र)करण संख्या :– 107 / 2022 / दावा / बउनवान / दौलतराम बनाम उम्मेद वगै0
(सी)जीसीएमएस संख्या 2022 / 140

1. दौलतराम उम्र 34 वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति मीणा निवासी मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

....वादी

बनाम

1. उम्मेद पुत्र रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
2. नवल किशोर पुत्र रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०) (मृतक)

2/1. अनिता बाई पत्नि नवल किशोर जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

2/2. देवेन्द्र पुत्र नवल किशोर जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

3. सुरेन्द्र पुत्र हेमराज जाति मीणा निवासी ग्राम सीमली तहसील बारां जिला बारां (राज०)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
5. राकेशबाई पत्नी उम्मेद जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
6. सुनीता बाई पत्नी दौलतराम जाति मीणा निवासी मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन</u>
<u>अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट0</u>

(व)कील वादी : श्री मनोज कुमार गालव

(व)कील प्रतिवादीगण : श्री अमित कुमार गौडा

(द)ायरा दिनांकः 06.07.2022

निर्णय दिनांकः 21.11.2025

निर्णय

(प्र)स्तुत वाद का बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है:–

01. यह कि वादी की पैतृक / पुश्तैनी आराजी हाल खाता संख्या 6 वाके ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल में खसरा नम्बर 111 रकबा 2.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307 / 1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 359 / 637 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367 / 639 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 374 / 638 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 491 / 617 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90 / 1.60 हैक्टयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 972 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 973 रकबा 1.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

978 रकबा 1.15 हैक्टयर कुल किता 16 रकबा 8.94 हैक्टयर स्थित है। जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा निहित है।

02. यह कि ग्राम मूण्डला खाता सं. 175 खसरा नम्बर 883 रकबा 1.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 1.17 हैक्टयर किता 2 रकबा 2.22 हैक्टयर स्थित है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा निहित है।

03. यह कि उक्त सम्पूर्ण आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण से पूर्व पिता रघुनाथ दादा भंवरलाल के खाते दर्ज थी एवं पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी चली आ रही है एवं वादीगण प्राचीन हिन्दू विधि से प्रशासित होते है जिसके अनुसार भी विरासत सम्पत्ति में वादीगण का जन्म से ही हित निहित है। वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

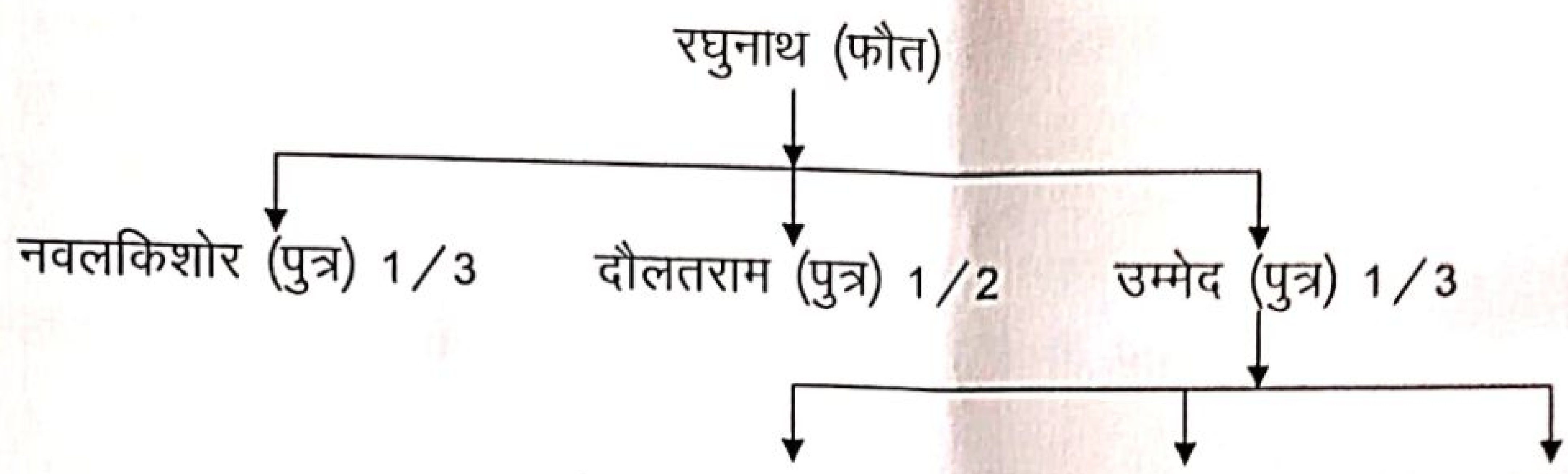

04. यह कि प्रतिवादी कम 1 शराबी दुर्व्यसनी प्रवृति का व्यक्ति है आये दिन लोगों से जुआ, शराब नशे की लत में रूपये पैसे उधार लेकर पैतृक सम्पत्ति वाद ग्रस्त आराजी का विक्रय करने पर तुला है जबकि वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 का भी शामलाती खाता है जिसमे विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी कम 1 उम्मेद अब तक ग्राम मूण्डला में साढ़े तीन बीघा आराजी का विकय ललिता बाई एवं खाता संख्या 6 ग्राम मूण्डला मे से सुरेन्द्र मीणा को साढे तीन बीघा आराजी का हिससे अनुसार विक्रय कर चुका है एवं आये दिन बिना विधिवत विभाजन के बेचान करने पर आमादा है जिससे खरीददार वादी के कब्जे काश्त को आये दिन व्यवधान कर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है।

05. यह कि वादी अपने कब्जे काश्त व हिस्सा 1/3 पर शुरू से ही बाहमी बंटवारा करके काबिज काश्त है किन्तु प्रतिवादी कम 1 नशे व शराब की लत मे किसी भी खसरा नम्बर पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर तुला हुआ है। जिससे वादी को एवं प्रतिवादी कम 2 को भी अपने हिस्सो पर काश्त करने मे व्यवधान हो रहा है वादी कि भूमि पुश्तैनी है अजनबी केताओ का कोई कब्जा काश्त नही है वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

06. यह कि प्रतिवादी कम 3 अजनबी केता है जो कि कानूनन बिना विधिवत विभाजन के वादी व प्रतिवादी कम 2 नवल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकारी नही है एवं प्रतिवादी कम 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना भी आवश्यक हो गया है।

07. यह कि वादी उपरोक्त खाता संख्या 6 कुल किता 16 रकबा 8. 94 हैक्टयर स्थित है। जिसमे से वादी अपना हिस्सा 1/3 एवं अन्य खाता संख्या 175 कुल किता 2 कुल रकबा 2.22 हैक्टयर हिस्सा 1/3 वाके ग्राम मूण्डला (छत्रपुरा) से अपना खाता पृथक कराकर पृथक से ही दर्ज करवाना चाहता है ताकि भविष्य मे किसी प्रकार का वाद विवाद न हो एवं प्रतिवादी कम 3 भी वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न करे।

08. यह कि वाद कारण दिनांक 22.06.2022 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा तहसील सीसवाली जाने पर प्रतिवादी कम 3 को रजिस्टर्ड विकय पत्र की जानकारी होने एवं प्रनितिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

क्रम 1 से बात करने पर मारपीट करके जबरन जमीन हांकने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है।

09. यह कि प्रतिवादी क्रम 4 लैण्ड होल्डर आवश्यक पक्षकार होने से सर्वोच्च भू स्वामी को वाद का आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। लेकिन उसके विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है।

10. यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

11. यह कि वाद–पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 3 निम्न आशय की डिक्री प्रसारित करे।

(अ) यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति खाता संख्या 6 किता रकबा 8.94 है0 वाके ग्राम मूण्डला एवं खाता संख्या 175 किता 2 रकबा 2.22 है0 में से अपना हिस्सा 1/3 पृथक कराकर वादी के खाते पृथक से दर्ज करें।

(ब) एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी क्रम 3 के विरूद्ध प्रसारित करे कि प्रतिवादी क्रम 3 बिना विधिवत विभाजन निकट भविष्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

(स) अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वह भी वादीगण को प्रदान की जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 06.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी क्रम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी क्रम 1 व 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:–

01. यह कि वाद–पत्र की मद न० 1 में वर्णित खसरा नम्बर 111 रकबा 2.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307/1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 359/637 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367/639 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 374/638 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 491/617 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90/1.60 हैक्टयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 972 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 973 रकबा 1.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 978 रकबा 1.15 हैक्टयर कुल किता 16 रकबा 8.94 हैक्टयर में वादी का 1/3 हिस्सा होना तटस्थ रुप से अस्वीकार है।

02. यह कि वाद–पत्र की मद न० 2 में खाता संख्या 175 खसरा नं0 883 रकबा 1.05 है0, खसरा नं0 886 रकबा 1.17 है0 किता 2 रकबा 2.22 है0 में वादी का हिस्सा 1/3 होना पूर्णतया अस्वीकार है।

03. यह कि वाद–पत्र की मद न० 3 में आराजी का पुश्तेनी होना स्वीकार है। शेष मद पूर्ण तया अस्वीकार है।

04. यह कि वाद–पत्र की मद न० 4 में वर्णित प्रतिवादी क्रम 1 का शराबी व दुर्व्यसनी होना अस्वीकार है तथा जुआ व शराब व नशे की लत का होना मनगढन्त रुप से लिखे होना अस्वीकार है। शेष मद पूर्णतया अस्वीकार है। तथा विशेष आपत्तियों में दर्ज हैं।

05. यह कि वाद–पत्र की मद न० 5 में वादी का 1/3 हिस्सा होना अस्वीकार है तथा पूर्ण मद अस्वीकार हैं तथा विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

06. यह कि वाद–पत्र की मद न० 6 तटस्थ रुप से अस्वीकार है। तथ्य विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

07. यह कि वाद–पत्र की मद न० 7 पूर्णतया झूठी व निराधार होने से अस्वीकार है। क्योकि वाद–पत्र में खाता संख्या 6 व खाता संख्या 175 में वादी का हिस्सा 1/3 बताया गया है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी देखने से स्पष्ट है कि वर्तमान में वादी का हिस्सा दोनो खातो में 1/6 दर्ज है। चाहा गया अनुतोष वाद–पत्र झुठा होने से काबिल खारीज है।

08. यह कि वाद–पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है। किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न ही नही हुआ है।

09. यह कि वाद–पत्र की मद न० 9 कानूनी है।

10. यह कि वाद–पत्र की मद न० 10 कानूनी है।

11. यह कि वाद–पत्र की मद न० 11 कानूनी है।

प्रार्थना व प्रार्थना की मद नं० अ, ब, स अस्वीकार है।

प्रतिवादी क्रम 1 व 3 की ओर से जवाब दावे के साथ विशेष आपत्तियां भी जाहिर की गयी जो बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

01. यह कि उक्त वाद–पत्र झुठे व मनगढन्त आधारों पर प्रस्तुत किये जाने व कानूनी सिद्धान्तो के विपरित होने से प्रथम दृष्टतया ही काबिल खारीज है। क्योकि वाद–पत्र में खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 111 रकबा 2.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307/1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 359/637 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367/639 रकवा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 374/638 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 473 रकवा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 491/617 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90/1.60 हैक्टयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 972 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 973 रकबा 1.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 978 रकबा 1.15 हैक्टयर कुल किता 16 रकबा 8.94 हैक्टयर व खाता संख्या 175 खसरा नं0 883 रकबा 1.05 हे०, खसरा नं0 886 रकबा 1.17 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.22 हे0 ग्राम मूण्डला में वादी का हिस्सा 1/3 दर्शाया गया है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से स्पष्ट है कि वादी का हिस्सा दोनो खातो में 1/6 निहित है तथा इससे वादी की मंशा जाहिर हो जाती है कि वह प्रतिवादी क्रम 1 की हिस्से आराजी को हडपना चाहता है तथा वाद–पत्र में खातेदारा सुनिता बाई पत्नि दोलतराम जाति मीणा निवासी मूण्डला को वाद–पत्र में पक्षकार नही बनायी जाने से वाद–पत्र में मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज का दोष होने से वाद–पत्र खारीज होने योग्य है।

02. यह कि आराजी खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 111 रकबा 2.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307/1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 359/637 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367/639 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 374/638 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 491/617 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90/1.60 हैक्टयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 965 रकबा 0. 20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 972 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 973 रकबा 1.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 978 रकबा 1.15 हैक्टयर कुल किता 16 रकबा 8.94 हैक्टयर में 1/3 हिस्से का प्रतिवादी क्रम 1 रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रतिवादी क्रम 1 को कर्ज अदायगी वास्ते रुपयो की जरुरत होने की वजह से प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने हिस्से 1/3 का 5/26 का बेचान प्रतिवादी क्रम 3 को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया है उक्त बेचान करने का प्रतिवादी क्रम 1 को कानूनन अधिकार हासिल है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

03. यह कि मौके पर पिता के जीवनकाल से ही तीनो भाई अपने अपने हिस्से 1/3–1/3 पर काबिज है। लेकिन वादीव प्रतिवादी क्रम 2 प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी पर जबरन दखलान्दाजी उत्पन्न करते है प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी को जबरन ताकत के बल पर हडपने की मंशा रखते है क्योकि वादी व प्रतिवादी क्रम 2 ने आपस में दुरभि संधी कर माननीय न्यायालय में बउनवान प्रिस बनाम उम्मेद एक ओर दावा प्रस्तुत कर रखा है जिससे वादी व प्रतिवादी क्रम 2 की मंशा स्पष्ट हो जाती है कि वह प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी को हडपने की मंशा रखते है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद–पत्र विशेष हर्जे खर्चे पर सव्यय खारीज करे।

वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण के जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड व मौके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक किये जाने हेतु निवेदन किया एवं सहमति जाहिर की।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं गहनता से मनन करने पर पाया कि वाके ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल के आराजी खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 111 रकबा 2.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307/1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 359/637 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367/639 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 374/638 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 491/617 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90/1.60 हैक्टयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 972 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 973 रकबा 1.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 978 रकबा 1.15 हैक्टयर कुल किता 16 रकबा 8.94 हैक्टयर एवं वाके ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल के आराजी खाता संख्या 175 खसरा नम्बर 883 रकबा 1.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 1.17 हैक्टयर किता 2 रकबा 2.22 हैक्टयर में वादी एवं प्रतिवादीगण हिस्सा अनुसार सह खातेदार है एवं मौके पर काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खाता पृथक करवाने के अधिकारी है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार शामलाती खाते की आराजी में सभी सह–खातेदारान का प्रत्येक इंच भूमि पर अधिकार निहित होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी अनुसार वाके ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल के आराजी खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 111 रकबा 2.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307/1100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 359/637 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367/639 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 374/638 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 491/617 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90/1.60 हैक्टयर, खसरा नम्बर 955 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 965 रकबा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 972 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 973 रकबा 1.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 978 रकबा 1.15 हैक्टयर कुल किता 16 रकबा 8.94 हैक्टयर एवं वाके ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल के आराजी खाता संख्या 175 खसरा नम्बर 883 रकबा 1.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 1.17 हैक्टयर किता 2 रकबा 2.22 हैक्टयर में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबंदी मे दर्ज अनुसार पृथक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मांगरोल पक्षकारान की शामलाती खाते की आराजी में से यदि मौके पर खातेदारान मौका स्थिति अनुसार बंटवारा कराने को सहमत हो तो मौका अनुसार अन्यथा राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का हिस्से अनुसार बँटवारा कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार मांगरोंल से मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार मांगरोल के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/2144 दिनांक 10.10.2025 से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01, 03, 05, 06 द्वारा सहमति दी गई। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न बंटवारा किंया जाता है।

वदीगण

नाम खातेदार	**ग्राम**	**खसरा नं.**	**रकबा (है0)**	**दिशा**
1. दौलतराम पुत्र रघुनाथ, सुनिता बाई पत्नि दौलतराम हिस्सा बराबर जाति मीणा सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा बडगॉव हिस्सा बराबर	मूण्डला	307	1.00	सम्पूर्ण
		111	2.26	सम्पूर्ण
		869	0.15	सम्पूर्ण
		473	0.04	मध्य
		359/637	0.17	सम्पूर्ण
		491/617	0.06	सम्पूर्ण
		367/639	0.05	पूरब
	किता	7	3.73	

प्रतिवादीगण

नाम खातेदार	**ग्राम**	**खसरा नं.**	**रकबा (है0)**	**दिशा**
1. अनिता बाई पत्नि स्व. नवल किशोर, देवेन्द्र पुत्र नवलकिशोर हिस्सा खातेदार रहन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा एन.टी.पी.सी. अन्ता हिस्सा बराबर	मूण्डला	90	1.60	सम्पूर्ण
		973	0.30	पूर्व
		482	0.08	सम्पूर्ण
		473	0.04	उत्तरी
		883	1.05	सम्पूर्ण
		886	0.02	दक्षिणी
		965	0.20	संपूर्ण
		367/639	0.02	पश्चिम
	किता	8	3.31	

न्यायालय उपखण्ड ... मांगरोल

प्रतिवादीगण नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0)	दिशा
2 .राकेश बाई पत्नि उम्मेद हि. सम्पूर्ण जाति मीणा खातेदार रहन यूको बैंक शाखा बडगॉव हिस्सा पूर्ण	मूण्डला	973	0.94	पश्चिम
		978	0.58	पश्चिम
		896	0.38	सम्पूर्ण
		374/638	0.15	सम्पूर्ण
		955	0.22	सम्पूर्ण
		473	0.03	दक्षिण
		972	0.10	सम्पूर्ण
	किता	7	2.40	

प्रतिवादीगण नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0)	दिशा
3. सुरेन्द्र पुत्र हेमराज हि. सम्पूर्ण जाति मीणा सा. सीमली तहसील बारां खातेदार	मूण्डला	978	0.57	पूर्व
	किता	1	0.57	

प्रतिवादीगण नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0)	दिशा
4. ललता बाई पत्नि किशनलाल हि. सम्पूर्ण जाति मीणा सा. देह खातेदार	मूण्डला	886	1.15	उत्तरी
	किता	1	1.15	

उक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान् के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। उक्त आश्य की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय बइजलास सौरभ भाम्बु R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 107 / 2022 / दावा / बउनवान / दौलतराम बनाम उम्मेद वगै0

जीसीएमएस संख्या 2022 / 140

निर्णय दिनांक :– 21.11.2025

बउनवान:–

1. दौलतराम उम्र 34 वर्ष पुत्र रघुनाथ जाति मीणा निवासी मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०) ....वादी

बनाम

1. उम्मेद पुत्र रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
2. नवल किशोर पुत्र रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०) (मृतक)
   2/1. अनिता बाई पत्नि नवल किशोर जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
   2/2. देवेन्द्र पुत्र नवल किशोर जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
3. सुरेन्द्र पुत्र हेमराज जाति मीणा निवासी ग्राम सीमली तहसील बारां जिला बारां (राज०)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
5. राकेशबाई पत्नी उम्मेद जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
6. सुनीता बाई पत्नी दौलतराम जाति मीणा निवासी मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां ....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट0

वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.11.2025 को सौरभ भाम्बु पीठासीन अधिकारी के समक्ष बंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकी जारी की जाती है कि तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी का पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

वदीगण

नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0)	दिशा
1.दौलतराम पुत्र रघुनाथ, सुनिता बाई पत्नि दौलतराम हिस्सा बराबर जाति मीणा सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा बडगॉव हिस्सा बराबर	मूण्डला	307	1.00	सम्पूर्ण
		111	2.26	सम्पूर्ण
		869	0.15	सम्पूर्ण
		473	0.04	मध्य
		359 / 637	0.17	सम्पूर्ण
		491 / 617	0.06	सम्पूर्ण
		367 / 639	0.05	पूरब
	किता	7	3.73	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

प्रतिवादीगण

नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0)	दिशा
1. अनिता बाई पत्नि स्व. नवल किशोर, देवेन्द्र पुत्र नवलकिशोर हिस्सा खातेदार रहन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा एन.टी.पी.सी. अन्ता हिस्सा बराबर	मूण्डला	90	1.60	सम्पूर्ण
		973	0.30	पूर्व
		482	0.08	सम्पूर्ण
		473	0.04	उत्तरी
		883	1.05	सम्पूर्ण
		886	0.02	दक्षिणी
		965	0.20	संपूर्ण
		367/639	0.02	पश्चिम
	किता	8	3.31	

प्रतिवादीगण

नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0)	दिशा
2. राकेश बाई पत्नि उम्मेद हि. सम्पूर्ण जाति मीणा खातेदार रहन यूको बैंक शाखा बडगॉव हिस्सा पूर्ण	मूण्डला	973	0.94	पश्चिम
		978	0.58	पश्चिम
		896	0.38	सम्पूर्ण
		374/638	0.15	सम्पूर्ण
		955	0.22	सम्पूर्ण
		473	0.03	दक्षिण
		972	0.10	सम्पूर्ण
	किता	7	2.40	

प्रतिवादीगण

नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0)	दिशा
3. सुरेन्द्र पुत्र हेमराज हि. सम्पूर्ण जाति मीणा सा. सीमली तहसील बारां खातेदार	मूण्डला	978	0.57	पूर्व
	किता	1	0.57	

प्रतिवादीगण

नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (है0)	दिशा
4. ललता बाई पत्नि किशनलाल हि. सम्पूर्ण जाति मीणा सा. देह खातेदार	मूण्डला	886	1.15	उत्तरी
	किता	1	1.15	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान् के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे हस्ताक्ष एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
ाम्प अर्जीदावा	....			स्टाम्पअर्जीदावा	....		
ाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
ाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
ःनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
र्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
स कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
त इजराय हुकमनामा	....			बबत इजराय हुकमनामा	....		
ाफर्रिक	....			मुतफर्रिक	....		
जान	....			मीजान	....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल